इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जून 2012—ज्येष्ठ 22, शक 1934

पशुपालन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2012

क्र. एफ 23-186-2003-पैंतीस.—मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 (क्रमांक 6 सन् 2004) की धारा 12 के साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012 है,

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे,

2. परिभाषाएंः—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 (क्रमांक 6 सन् 2004);

(ख) "स्थानीय अधिकारी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, पशु चिकित्सा सेवा के संयुक्त संचालक/उपसंचालक, जो सभाग/जिला स्तर पर पदस्थ है;

(ग) उन समस्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जिनका प्रयोग इसमें किया गया है, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है.

3. अभिवहन अनुज्ञापत्र का दिया जानाः—

(1) कोई व्यक्ति, जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, जो एक राज्य से अन्य राज्य को मध्यप्रदेश होते हुए गौवंशी का किसी भी माध्यम से परिवहन करना चाहता है, प्रति फेरा रूपये 100 की फीस जमा करने के पश्चात् अनुज्ञापत्र हेतु प्ररूप—एक में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, प्ररूप एक में आवेदन में दिए गए ब्यौरे के सत्यापन के लिए ऐसी जॉच, जैसी कि वह अपने समाधान के लिए आवश्यक समझे, कर सकेगा । ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है, कि आवेदन में दिए गए ब्यौरे तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज सही हैं, तो वह आवेदन प्राप्त करने की तारीख से दो सप्ताह की कालावधि के भीतर आवेदक को प्ररूप - दो में अभिवहन अनुज्ञापत्र जारी करेगा या आवेदन को नामंजूर करने के लिए उसके कारणों का कथन करते हुए आदेश पारित करते हुए नामंजूर करेगा और स्वयं के हस्तलेखन में शासकीय रजिस्टर में संबंधित जानकारी प्रविष्ट करेगा.

(3) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम,1960 (1960 का 59) और अन्य संबंधित अधिनियमों और नियमों से संबंधित उपबंधों का उल्लेख, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र के पीछे किया जाएगा और उनका अनुपालन करना अनुज्ञापत्र के धारक के लिए आज्ञापक होगा.

स्पष्टीकरण.-

(एक) पैदल मार्ग से परिवहन करते समय गौवंश का प्रत्येक झुण्ड, 25 से अधिक का नहीं होगा।

(दो) यदि परिवाहक कृषक है, तो उसके पास ऋण पुस्तिका, कृषक द्वारा पशु मेले से क्रय किए गए पशुओं की विक्रय रसीद होना आवश्यक होगा तथा ऋण पुस्तिका में विक्रेता द्वारा संबंधित जानकारी प्रविष्ट की जाएगी। संबद्ध कृषक एक समय में चार से अधिक गौवंश का परिवहन नहीं कर सकेगा।

(तीन) किसी भी विधि से पशुओं के परिवहन के दौरान प्रत्येक परेषण आहार/चारा, पेय जल और समुचित विश्राम सुविधाओं के साथ होगा। सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात् पशुओं का पैदल परिवहन निर्बंधित रहेगा।

(चार) प्रत्येक गौवंश का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पृथक पृथक जारी किया जाना आज्ञापक होगा।

4. **निरीक्षण (तलाशी) की शक्ति.-** अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी भी ऐसे परिसर में, जिसके कि संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी और वह आवश्यक कार्रवाई करेगा।

5. **जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिहरण.-** धारा 4,5,6,6 क एवं 6 ख के किसी उल्लंघन की दशा में, पुलिस किसी यान, गौवंश और गौमांस को अभिगृहीत करने के लिए सशक्त होगी और जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यानों, गौवंश और गौमांस का दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित रीति में अधिहरण करेगा :-

(एक) वह यान को कब्जे में लेगा ;

(दो) वह पशु चिकित्सा विभाग को गौवंश और गौवंश मांस को अभिरक्षा में लेने हेतु सूचना देगा ;

(तीन) गौवंश मांस का, विभाग द्वारा ऐसी रीति में, जैसी कि वह उचित समझे, निपटान किया जाएगा ।

6. **अपील की रीति.-** अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन पारित अधिहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की जानकारी की तारीख से तीस दिन के भीतर, संभागीय आयुक्त को, लिखित में अपील कर सकेगा। प्रत्येक अपील अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (1) के अधीन की जायेगी।

7. **फीस.-** अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (1) के अधीन देय फीस, संभागीय आयुक्त को, रूपए पांच सौ का बैंक ड्राफ्ट द्वारा या चेक द्वारा देय होगी ।

8. **भरण पोषण एवं रख रखाव,-** (1) अभिगृहीत गौवंश को, गौवंश को रखने, प्रजनन तथा भरण-पोषण के प्रयोजन के लिए या अशक्त, वृद्ध और रोगी गौवंश को ग्रहण करने, उनके संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार के प्रयोजन के लिए स्थापित तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई पूर्त संस्था या किसी गौशाला में रखा जाएगा ।

(2) भरण पोषण प्रभार रूपए 5/- प्रति पशु प्रति दिन की दर से होगा ।

(3) पशु चिकित्सा विभाग, बजट में आवश्यक उपबंध करेगा तथा गौवंश के भरण पोषण एवं रख रखाव के लिए संबंधित संस्था को अनुदान उपलब्ध कराएगा ।

9. **संस्था को सहायता तथा अनुदान.-**

(1) ऐसी संस्था जिसमें कम से कम सौ से अधिक अनुत्पादी, अशक्त, वृद्ध और रोगी गौवंश हों, उसे राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता मिलेगी।

(2) मध्यप्रदेश कृषिउपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (चार) के अधीन मण्डी समिति से भी उपनियम (1) में उल्लिखित संस्था को अनुदान मिलेगा।

10. परिबद्ध गौवंश का सौंपा जाना.–

घूमने वाले (विचरण करने वाले) ऐसे गौवंश, जो कांजी हाऊस के कर्मचारियों द्वारा पकड़े गए हों और निर्मुक्त नहीं किए गए हैं या नीलाम नहीं किए गए हैं, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संस्था को सौंपे जाएंगे.

11. प्रभारों का उद्ग्रहण.–

(1) गौवंश की देखभाल तथा पोषण के लिए संस्था, प्रभार का उद्ग्रहण तथा वसूली उनके स्वामियों से कर सकेगी जो स्थानीय निकाय के कांजी हाऊस द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले प्रभार के समतुल्य होगा ।

(2) ऐसे कांजी हाऊस,जो स्थानीय निकायों द्वारा पोषित किए जाते हैं,संस्था के कृत्यों का निर्वहन यथासंभव सीमा तक कर सकेंगे।

12. आर्थिक पुनर्वास स्कीम.–

(1) नगरपालिक निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के सक्षम प्राधिकारी, प्ररुप–चार में उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेंगे जो अधिनियम के उपबंधों से भागतः या पूर्णतः प्रभावित हुए हों और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए उसे उनके कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा। आपत्तियां, यदि कोई प्राप्त हुई हों, तो ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटाई जाएंगी, उसके पश्चात् प्रभावित व्यक्तियों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित किया जाएगा ।

(2) स्थानीय निकाय का सक्षम प्राधिकारी, अंतिम सूची जिले के कलक्टर को भेजेगा ।

(3) स्थानीय निकाय से अंतिम सूची प्राप्त होने के पश्चात् ,जिले का कलक्टर उसकी संवीक्षा करवाएगा तथा प्ररुप–पाँच में प्रमाणीकरण करने के पश्चात्, वह प्रभावित व्यक्तियों की मांग पर संबंधित निगमों और/या राज्य सरकार के बोर्ड की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लिए सिफारिश करेगा और उस सूची की एक प्रति स्थानीय अधिकारी को समन्वय के लिए पृष्ठांकित की जाएगी ।

(4) ऐसे निगम और बोर्ड आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्, प्रभावित व्यक्तियों को या तो सीधे या बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराएंगे ।

(5) प्रभावित व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास की मासिक मानिटरिंग कलक्टर द्वारा की जाएगी जिसके लिए स्थानीय अधिकारी समन्वयक के रुप में कार्य करेगा ।

(6) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् प्रभावित व्यक्ति इस आर्थिक पुनर्वास का फायदा केवल एक बार लेंगे ।

13. **निरसन तथा व्यावृत्ति.-**

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम, 2004 एतद्द्वारा निरसित किए जाते है :

परन्तु यह निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा -

(एक) इस प्रकार निरसित की गई किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन की गई या भुगती गई किसी बात; या

(दो) इस प्रकार निरसित की गई किसी विधि के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई भी शास्ति, जब्ती या दण्ड; या

(तीन) पूर्वोक्त को किसी भी शास्ति, जब्ती या दण्ड के संबंध में कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार; और

(चार) कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखी जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी और कोई भी ऐसी शास्ति, जब्ती या दण्ड को इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि यह नियम पारित ही नहीं हुआ है।

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित फोटो

प्ररूप—एक

(नियम 3 (1) देखिए)

(भाग एक)

अभिवहन अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी,
जिला............................
मध्यप्रदेश

मैं, गाय/गाय का बछड़ा /सांड़/बैलों का.................. (परिवहन का प्रकार)............... मध्यप्रदेश राज्य से होकर .... से ....स्थान .... जिला .... (राज्य का नाम)............................ तक (स्थान का नाम) .... जिला के .... राज्य....................तक परिवहन करना चाहता हूँ।

कृपया मुझे मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012 के नियम 3 (1) के अधीन अभिवहन अनुज्ञापत्र प्रदान करें। मेरी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :—

1. नाम — ....
2. पिता का नाम — ....
3. आयु — ....
4. लिंग — ....
5. जाति — ....
6. व्यवसाय — ....
7. वर्तमान पता — ....
   दूरभाष क्रमांक — ....
8. स्थायी पता — ....
   दूरभाष क्रमांक — ....
9. गायों/गाय का बछड़ों/सांड़/बैलों की संख्या ....

क्रमांक	पशु का प्रकार	पहचान चिन्ह	आयु	प्रजाति	लिंग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

संलग्नः— (एक) रूपए 100 की रसीद

(दो) दो पासपोर्ट साइज की फोटो

स्थान :— ....

दिनांक :—......................

आवेदक के हस्ताक्षर

(भाग –दो)

पशु स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र

(नियम 3 देखिए)

क्रमांक .. .. दिनांक....................................

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित गौवंश जो................................निवासी.................. के स्वामित्व की है, का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, उक्त गौवंश किसी सांसर्गिक/संक्रामक बीमारी से ग्रसित है/ग्रसित नहीं है और परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयुक्त है/उपयुक्त नहीं है।

विवरण :–

पशु का प्रकार	पहचान चिन्ह	लिंग	आयु	स्वस्थ है/ बीमार है	संक्रमण के ब्यौरे (यदि बीमार है तो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(हस्ताक्षर तथा मुद्रा)

पशु चिकित्सक का नाम

पंजीयन क्रमांक....................

टिप्पण–(क) पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शासकीय पशु चिकित्सक अथवा राज्य पशु चिकित्सा परिषद् से पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया जाएगा ।

(ख) प्रत्येक गौवंश के लिए व्यक्तिगत पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

प्ररूप—दो

(नियम 3 (2) देखिए)

अभिवहन अनुज्ञापत्र

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित फोटो

पंजीकरण क्रमांक .... दिनांक ....

1. नाम — ....
2. पिता का नाम — ....
3. आयु — ....
4. लिंग — ....
5. जाति — ....
6. व्यवसाय — ....
7. वर्तमान पता — ....

   दूरभाष क्रमांक — ....
8. स्थायी पता — ....

   दूरभाष क्रमांक — ....
9. परिवहन का प्रकार — ....वाहन क्रमांक......................................

   चालक का नाम — ....
10. गायों/गाय के बछड़ों/सांड़/बैलों की संख्या...

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति के ब्यौरे सत्यापित किए गए हैं तथा .... राज्य से .... को मध्यप्रदेश राज्य से होकर ....राज्य तक गौवंश परिवहन के लिए अनुज्ञात किया जाता है ।

यह अभिवहन अनुज्ञापत्र .... (दिनांक) तक विधिमान्य रहेगा।

स्थान : ....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(मुद्रा)

प्ररूप—तीन

(नियम 3 (2) देखिए)

पशु व्यापारी के ब्यौरे जो अभिवहन अनुज्ञापत्र के लिए पंजीकृत किया गया है

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित फोटो

अनुक्रमांक	व्यापारी का नाम	पिता का नाम	भाग (1) में दिए गए आवेदन का अनुक्रमांक	पंजीयन क्रमांक तथा तारीख	अभिवहन—अनुज्ञा पत्र जारी करने की तारीख तथा पशुओं की संख्या			अभ्युक्ति
					लिंग	नस्ल	आयु	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

स्थान : ....

दिनांक : ....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम तथा मुद्रा)

प्ररूप—चार

(नियम 12 (1) देखिए)

कार्यालय नगरपालिक निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत ....

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम , 2012 के नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन प्रभावित व्यक्तियों की सूची—

अनुक्रमांक	प्रभावित व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	जाति	पता	अनुज्ञप्ति कमांक	विगत तीन वर्षो में वध किए गए पशुओं की संख्या			प्रभावित व्यक्ति के प्रभावित होने की सीमा		अभ्युक्ति
						गौवंश	भैंस	छोटे पशु	अंशतः	पूर्ण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जानकारी, कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार सही है.

नगरपालिक निगम/नगर
पालिका/नगर पंचायत
के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
तथा मुद्रा

प्ररूप—पांच

(नियम 12 (3) देखिए)

कार्यालय, कलक्टर, जिला .... मध्यप्रदेश

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति

संचालक,
पशुपालन,
मध्यप्रदेश, भोपाल,

विषयः— मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम, 2012 के नियम 12 (3) के अधीन प्रभावित व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करना।

अनुक्रमांक	प्रभावित व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	जाति	पता	अनुज्ञप्ति क्रमांक	प्रभावित व्यक्ति के प्रभावित होने की सीमा		निगम/बोर्ड /राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना की अनुशंसा	अभ्युक्ति
						अंशतः	पूर्ण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जानकारी, अभिलेख के अनुसार सही है.

(हस्ताक्षर)

कलक्टर

जिला..............(मध्यप्रदेश)

प्रतिलिपि अग्रेषित

1. संयुक्त संचालक /उप संचालक, पशु पालन, जिला............................ (मध्यप्रदेश)

कलक्टर

जिला..............(मध्यप्रदेश)

F 23-186-2003-XXXV.—In exercise of the powers conferred by Section 17, read with Section 12 of the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004 (No. 6 of 2004), the State Government, hereby, makes the following rules, namely :—

RULES

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Rules, 2012.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya, Pradesh Gazette.

2. Definition.- In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004 (No. 6 of 2004);

(b) "Local Officer" means the Joint Director/Deputy Director of Veterinary Services of the Government of Madhya Pradesh which are posted at Division/District Level;

(c) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Grant of Transit Permit.-

(1) Any person including transporter who wants to transport any cow-progeny from one state to other via Madhya Pradesh State by any means, shall apply for a permit in Form-I to the Competent Authority after depositing a fee of Rs. 100 per trip.

(2) The competent authority may conduct such enquiry as he may deem necessary for his satisfaction for verification of details given in the application Form-I. After conducting such enquiry, if the competent authority is satisfied that details given in the application and documents attached with application are correct, he shall issue the Transit permit in Form-II to the applicant within two weeks from the date of receiving the application or reject the application by passing an order stating the

reasons thereof and shall enter the related information in his official register under his own hand writing.

(3) The provisions relating to the Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960 (No. 59 of 1960) and other related Acts and rules shall be mentioned by the Competent Authority on the back of permit and compliance of the same shall be mandatory for the permit holder.

Explanation.-

(i) Each herd shall not have more than twenty five Cow progeny, while transporting on foot.

(ii) If the transporter is a farmer, he must have rinpustika, animal purchased through cattle fares by the farmer, he must have sale receipt and related information shall be entered in rinpustika by the seller. Concerning farmer cannot transport more than four cattles at a time.

(iii) During transportation of cattle by any means each consignment shall accompany with feed/fodder, drinking water and proper rest facilities. Transportation of cattle on foot shall be restricted before sunrise and after sunset.

(iv) Individual heath certificate shall be issued to each cow-progeny shall be mandatory.

4. **Power of Inspection.-** For the purpose of enforcing the provisions of section 11 of the Act. The Competent Authority or any person authorized by the Competent Authority in writing in this behalf shall have power to enter and inspect any premises within the local limits of his jurisdiction, where he has reason to believe that an offence under the Act has been, is being or is likely to be committed and shall take necessary action.

5. **Confiscation by District Magistrate.-**

In case of any violation of section 4, 5, 6, 6A and 6B, the police shall be empowered to seize the vehicle, cow progeny and beef, and the District Magistrate shall confiscate such vehicles, cow progeny and beef as per the provisions of section 100 of Criminal Procedure Code, 1973 (No. 2 of 1974) in following manner :-

(i) He shall take possession of the vehicle;

(ii) He shall intimate the Veterinary Department to take in custody of the cow-progeny and beef.

(iii) The beef of cow-progeny shall be disposed of by the department by such procedure as he deems fit.

6. **Manner of Appeal.-** Any person aggrieved by an order of confiscation under sub-section (5) of section 11 of the Act, may prefer an appeal in writing to the Divisional Commissioner within thirty days of the date of knowledge of such order. Every appeal shall be made under sub-section (1) of section 11-A of the Act.

7. **Fee.-** The fee payable under sub-section (1) of section 11-B of the Act shall be rupees Five Hundred by Bank Draft or by cheque payable to the Divisional Commissioner.

8. **Feeding and Maintenance.-** (1) The seized cow-progeny shall be kept in the Goshala or any Charitable Institutions registered under any enactment for the time being in-force established for the purpose of keeping, breeding and maintaining cow-progeny or for the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and diseased cow-progeny.

(2) The feeding charges shall be @ Rupees 5/- per cattle per day.

(3) The Veterinary Department shall make necessary provision in the budget and shall provide the grant to the concerned institution for feeding and maintenance of the cow-progeny.

9. **Aid and Grant to Institution.-**

(1) The Institution having a minimum of one hundred of unproductive infirm, aged and diseased Cow-progeny, shall get aid under various schemes of State Government/Central Government.

(2) The Institution mentioned in sub-rule (1) shall also get grants from market committee under clause (iv) of sub-section (3) of section 17 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No.24 of 1973).

10. **Handing over of impounded cow-progeny.-** Wandering cow-progeny which are captured by employees of cattle pound and are not released or auctioned shall be handed over to the institution by the local authority.

11. **Levy of Charges.-**

(1) The Institutions may levy and recover charges for care and maintenance of cow-progeny from their owners which shall be equivalent to the charges levied by the cattle pound of the local body.

(2) The cattle-pound, which are maintained by local bodies, may discharge the functions of institutions to the extent possible.

12. Economic rehabilitation Scheme -

(1) The Competent Authority of the Municipal Corporations, Municipalities and Nagar Panchayats shall prepare a list in Form-iv of persons, who are partially or fully affected by the provisions of the Act and display it on the notice-board in their office for inviting objections. The objections, if any, received, shall be disposed-off by such Competent Authority, thereafter a final list of affected persons shall be prepared and the affected person shall be informed.

(2) The Competent Authority of the local body shall send the final list to the Collector of the district.

(3) After receiving the final list from the local body, the collector of the district shall get it scrutinized and after certification in the prescribed Form-V, he shall recommend various self-employment schemes of concerned corporation and/or Board of the State Government on the basis of affected persons demand, and a copy of that list shall be endorsed to the local Officer for co-ordination.

(4) Such Corporation and Board after completing necessary formalities shall make funds available to the affected persons either directly or through banks.

(5) Monthly monitoring of economic rehabilitation of the affected person shall be done by the collector, for which the local officer shall act as co-ordinator.

(6) The affected persons shall get benefit of this economic rehabilitation only once, after coming into force of the Act.

13. Repeal and Savings.- The Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Rules, 2004 are hereby repealed :

Provided that the repeal shall not effect:-

(i) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered there under;

(ii) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or

(iii) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any penalty, forfeiture or punishment to afore said; and

(iv) any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this rule had not been passed.

Photographs Attested by Authorised officer

FORM-I

(See Rule 3 (1))

(Part I)

APPLICATION FOR TRANSIT PERMIT

To,

The Competent Authority,
District ....
Madhya Pradesh.

I desire to transport cows/calves of cow /bull/bullocks from.......................place......................District....................(Name of State) .... to (Name of place)..........................District.........................of ....State via Madhya Pradesh by .... (means of transport).

Please grant me necessary Transit Permit under rule 3(1) of the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Rules, 2012. My Particulars are as given below :-

1. Name - --
2. Father's name - --
3. Age - --
4. Sex - --
5. Caste - --
6. Profession - --
7. Present Address - - --
   Telephone No. - --
   \- --
8. Permanent Address - --
   Telephone No. - --
9. Number of cows/calves of cows/ bull/bullocks

No.	Kind of animal	Identification mark	Age	Breed	Sex
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Enclosed: (i) Receipt of Rs., 100/–
(ii) Two passport size photographs

PLACE :
DATE :

Signature of the Applicant

(Part II)

Animal Health Certificate

(See Rule 3)

No.-------------- Date ----------

Certified that the cow progeny described below which is owned by .... resident of.., has been inspected by me, the said cow progeny is suffering / not suffering from any contagious/infectious disease and has been found to be fit /unfit for transportation purpose .

Discriptions :-

Kind of animal	Identification mark	Sex	Age	Healthy/Sick	Details of Infection (If diseased
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(Signature and Seal)
Name of Veterinarian
Reg. No.

Note :- (a) Animal health certificate shall be issued by the Government Veterinary Surgeon or registered veterinarian under State Veterinary Council.

(b) Individual animal health certificate shall be issued for each cow progeny.

FORM-II

[See Rule 3 (2)]

Photographs Attested by Authorised officer

TRANSIT PERMIT

Registration No.................................... Date......................

1. Name - ---
2. Father's name - ---
3. Age - ---
4. Sex - ---
5. Caste - ---
6. Profession - ---
7. Present Address - ---
   Telephone no. - ---
   - ---
8. Permanent Address - ---
   Telephone no. - ---
   - ---
9. Kind of the transportation - ---------------------Vehicle No.----------
   name of driver - ---
10. Number of cows/calves ---
    of cows/ Bull/Bullocks ---

Certified that the details of the above person has been verified and is being permitted to transport cow progeny from............ State to........................State via Madhya Pradesh.

This transit permit is valid upto..............................(Date.)

PLACE :

Signature of Competent Authority
(seal)

Photographs Attested by Authorised officer

FORM III

[See Rule 3(2)]

Details of cattle trader which is registered for transit permit

S.No.	Name of the trader	Father's name	S. No. of the Application given in Part (1)	No. and date of Registration	Date of issue of transit permit and No. of animals			Remark
					Sex	Breed	Age	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Place:
Date :

Signature of Competent Authority
(Name and Seal)

FORM-IV

[See Rule 12 (1)]

OFFICE OF MUNICIPAL CORPORATION/MUNCIPALITY/ NAGAR PANCHAYAT---

List of affected person under Rule 12 (1) of the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Rule 2012.

S. No.	Name of affected person	Father's name	Caste	Address	Licence No.	Number of slaughtered in last three years			Extent of the person being affected		Remark
						Cow progeny	Buffalo	Small animal	Partial	Compl ete	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Certified that the above information is true as per record available in the office.

Signature and Seal
Competent Authority of
Municipal Corporation
Municipality/
Nagar Panchayat----------------------

FORM-V

[See Rule 12 (3)]

OFFICE OF THE COLLECTOR--M.P.

No.. Date ....

To,

The Director,
Animal Husbandry,
M.P., Bhopal

Sub: Submission of list of affected person under Rule12 (3) of the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Rule, 2012.

S. No.	Name of affected person	Father's name	Caste	Address	Licence No.	Extent of the person being affected		Recommendation of self-employment scheme of the Corporation/ Board/State Government.	Remark
						Partial	Complete		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Certified that the above information is true as per record.

Signature
Collector
District---------------(M.P.)

Copy forwarded to :-

1. Joint/Deputy Director, District.. Animal Husbandry, Mahya Pradesh.

Signature
Collector
District---------------(M.P.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. अहिरवार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.